

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग**

क्रमांक प. 25(20)साप्र/4/2011/पार्ट-।।

जयपुर, दिनांक 21-3-16

1. प्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
3. प्रबंधक, ट्रंजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।

**विषय:-** अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण की सूचना भिजवाने के क्रम में।

**संदर्भ:-** निरीक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5/भौ.स./नकारा/15-16/3362-3461 दिनांक 16.03.2016

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निरीक्षण विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में बेशी/अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग से चाहा गया है।

अतः पत्र में दर्शाये गये निर्धारित प्रपत्र में माह मार्च, 2016 तक बेशी/अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण का विवरण 7 दिवस में इस विभाग को प्रस्तुत करें। संबंधित सूचना सीधे निरीक्षण विभाग को नहीं भिजवाया जाकर इस विभाग को ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :-

**प्रपत्र**  
**अनुपयोगी एवं नाकारा सामान/वाहनों के निस्तारण का विभागवार विवरण**  
**(वित्तीय वर्ष 2015-16)**

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण से प्राप्त कुल राजस्व	वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक ..... तक अनुपयोगी एवं नकारा सामान की राशि का कुल पुस्तक मूल्य	वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक ..... तक अनुपयोगी एवं नकारा सामान के निस्तारण का कुल पुस्तक मूल्य	वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक ..... तक नीलामी से प्राप्त कुल राशि	वर्ष 2015-16 में नीलामी से प्राप्त सम्भावित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7

भविष्य में भी नाकारा/अनुपयोगी सामानों से होने वाली आय की सूचना उक्त प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप में इस विभाग को प्रेषित करावें।

  
(महेन्द्र कुमार खींची)  
शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 5/भौ.स./नाकारा/15-16/3362-3461 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

(महेन्द्र कुमार खींची)  
शासन उप सचिव (क)